संख्या– 71 /xxxvi(1)एक/09–234/2001

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 27 फरवरी, 2009

विषय– मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिष्ठान में 01 पद प्रमुख निजी सचिव, 01 पद मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं 01 पद प्रोटोकॉल अधिकारी के अस्थायी निःसवंर्गीय पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 40/xxxvi(1)एक/2008–234/2001 दिनांक 7–2–08 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में शासनादेश संख्या– 19–एक(2) न्याय विभाग/2003 दिनांक 1 अगस्त, 2003 द्वारा सृजित प्रमुख निजी सचिव के एक अस्थायी निःसर्वगीय पद एवं शासनादेश संख्या– 98– एक (2)/छत्तीस(1)/2005–234/2001 दिनांक 15–12–2005 एवं शासनादेश संख्या– 98–एक (2)/xxx vi(1)/2006-234/2001 दिनांक 16–12–2005 द्वारा सृजित/संशोधित मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं प्रोटोकाल अधिकारी के एक–एक अस्थायी निःसवंर्गीय पद के कार्यकाल को वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जांए, दिनांक 1–3–2009 से 28–2–2010 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उक्त पर होने वाला व्यंय आगामी वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या– 04के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय–00" की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 699एन0पी0/xxvii(5)/2009 दिनांक 24.2.09 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या– 71 (1)/xxxvi(1)एक/09–234/2001समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,

nirantrata